



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक/ 11087 /जि.पं./शि.क./भर्ती/2015  
प्रति,

राजनांदगांव, दिनांक- 07/01/2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
छत्तीसगढ़ संवाद,  
छ.ग. रायपुर ।

विषय : व्याख्याता (पंचायत) की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत ।

---00---

जिला पंचायत, राजनांदगांव द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में व्याख्याता (पंचायत), के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की प्रति संलग्न कर प्रकाशन हेतु आपकी ओर भेजी जा रही है ।

कृपया संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन, एक प्रादेशिक समाचार पत्र, एक स्थानीय समाचार पत्र के अगले अंक में करने का कष्ट करें ।

संलग्न : विज्ञापन.


  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 11088 /जि.पं./शि.क./भर्ती/2015  
प्रतिलिपि-

राजनांदगांव, दिनांक-07/01/2016

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर ।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर ।
5. कलेक्टर, राजनांदगांव ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव को विज्ञापन की प्रति सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु ।
7. उप संचालक, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, राजनांदगांव ।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को विज्ञापन अपलोड करने हेतु ।
9. संचालक, सैनिक कल्याण कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे, रायपुर ।
10. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, राजनांदगांव ।
11. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, (सर्व) जिला राजनांदगांव को विज्ञापन की प्रतियाँ सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु ।
12. कार्या. सूचना पटल ।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

—: विज्ञापन :-

क्रमांक / 11089 / जि.पं. / शि.क.भर्ती / 2016

राजनांदगांव, दिनांक - 07/01/2016

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2015/613 नया रायपुर दिनांक- 16.09.2015 अनुसार निःशक्तजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्र./पंचा.-192/पंचावि/2012/ 1167, दिनांक 21/08/2012 एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 तथा छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक-पंचा.-142/पंचावि/2012/1583 रायपुर दिनांक- 21.11.2012 के द्वारा छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में संशोधन अनुसार जिले में स्कूल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं/संस्थाओं में व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 22.01.2016

## व्याख्याता (पंचायत) की विज्ञापित पदों की वर्गवार जानकारी

| क्रं. | विषय          | अनारक्षित    |             |             |     | अन्य पिछड़ा वर्ग |             |             |     | अनुसूचित जाति |             |             |     | अनुसूचित जन जाति |             |             |     |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----|------------------|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|-------------|-----|------------------|-------------|-------------|-----|
|       |               | दृष्टि बाधित | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग | दृष्टि बाधित     | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग | दृष्टि बाधित  | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग | दृष्टि बाधित     | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग |
| 1     | अंग्रेजी      | 0            | 0           | 0           | 0   | 0                | 0           | 0           | 0   | 1             | 1           | 1           | 3   | 1                | 1           | 1           | 3   |
| 2     | गणित          | 1            | 1           | 2           | 4   | 1                | 1           | 0           | 2   | 1             | 1           | 1           | 3   | 1                | 1           | 0           | 2   |
| 3     | भौतिक शास्त्र | 1            | 1           | 1           | 3   | 1                | 0           | 0           | 1   | 1             | 0           | 0           | 1   | 1                | 0           | 0           | 1   |
| 4     | रसायन शास्त्र | 1            | 1           | 0           | 2   | 1                | 0           | 0           | 1   | 1             | 0           | 0           | 1   | 1                | 0           | 0           | 1   |
| 5     | जीव विज्ञान   | 1            | 1           | 2           | 4   | 1                | 1           | 0           | 2   | 1             | 1           | 0           | 2   | 1                | 1           | 0           | 2   |
| 6     | वाणिज्य       | 0            | 0           | 0           | 0   | 0                | 0           | 0           | 0   | 1             | 0           | 0           | 1   | 1                | 1           | 0           | 2   |
| 7     | कृषि          | 0            | 0           | 0           | 0   | 0                | 0           | 0           | 0   | 1             | 0           | 0           | 1   | 0                | 0           | 0           | 0   |
|       | योग           | 4            | 4           | 5           | 13  | 4                | 2           | 0           | 6   | 7             | 3           | 2           | 12  | 6                | 4           | 1           | 11  |

## शिक्षक (पंचायत) की विज्ञापित पदों की वर्गवार जानकारी


| क्रं. | विषय        | अनारक्षित    |             |             |     | अन्य पिछड़ा वर्ग |             |             |     | अनुसूचित जाति |             |             |     | अनुसूचित जन जाति |             |             |     |
|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|------------------|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|-------------|-----|------------------|-------------|-------------|-----|
|       |             | दृष्टि बाधित | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग | दृष्टि बाधित     | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग | दृष्टि बाधित  | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग | दृष्टि बाधित     | श्रवण बाधित | अस्थि बाधित | योग |
| 1     | हिन्दी      | 1            | 0           | 0           | 1   | 0                | 0           | 0           | 0   | 1             | 0           | 0           | 1   | 1                | 0           | 0           | 1   |
| 2     | अंग्रेजी    | 2            | 2           | 2           | 6   | 1                | 1           | 0           | 2   | 1             | 1           | 1           | 3   | 1                | 1           | 1           | 3   |
| 3     | संस्कृत     | 0            | 0           | 0           | 0   | 0                | 0           | 0           | 0   | 1             | 0           | 0           | 1   | 1                | 0           | 0           | 1   |
| 4     | गणित        | 1            | 1           | 0           | 2   | 1                | 1           | 1           | 3   | 1             | 1           | 1           | 3   | 1                | 1           | 1           | 3   |
| 5     | जीव विज्ञान | 2            | 1           | 1           | 4   | 1                | 0           | 0           | 1   | 2             | 1           | 1           | 4   | 1                | 1           | 1           | 3   |
|       | योग         | 6            | 4           | 3           | 13  | 3                | 2           | 1           | 6   | 6             | 3           | 3           | 12  | 5                | 3           | 3           | 11  |



## कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

टीप :- 1.-UR= अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), 2- रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जिसके लिए जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।, 3- विज्ञापित पद निःशक्तजनों के बैकलॉग के रिक्त पद है । 4- उपरोक्त पदों में प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार विकलांग (6%) के लिए समस्तर आरक्षण रहेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा । आवेदन पत्र एवं सेवा शर्तें, जिला पंचायत, राजनांदगांव के वेबसाइट- [www.zprajnandgaon.gov.in](http://www.zprajnandgaon.gov.in) पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है ।

विज्ञापन में निर्दिष्ट दस्तावेज ही संलग्न किए जावें । आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज असत्य/फर्जी पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा ।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)